

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

वडसीराम विद्या आदि

दावा बाबत :- 88 RTA Act

मुकदमा नम्बर :- 378/2021

निर्णय दिनांक :- 17.12.2021

वादी की ओर से वकील राम मुनि तारवर की व प्रतिवादी सं० 1/ला 4 की ओर से वकील नैरेन्द्र अग्नि की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.12.2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

शेही भोजा रतनपुरी के खाता सं० 39/43 के खसरा सं० 226/75, 227/76, 62 कुल 78750 हे० वारसी खातेदार श्रीमती श्रीमती की खसरा पुत्र गिरधारा के नाम से राजस्व खाता में दर्ज है उक्त वारसी वादग्रही में से कीरखलू का नाम कलभूषण किया जाकर वादी वडसीराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है श्रीमती प्रतिवादी सं० 1/ला 4 ने अपना सम्पूण हक व हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर मुल्क कर लिया है इसलिए त्याग किया गया हिस्से पर पंजापत विभाग को दैन पंजापत मुल्क अदा करने व यदि लुका मुक्ति नोट के खन हो तो रदनभूत होने के उपरान्त ही राजस्व खाता में अपील दायर कर किया जाये। राजागामा को डिक्री का भाग पठा जाये।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
(शिक्ति प्रभाती)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, B.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
भादरा, जिला हनुमानगढ़